

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-08/2025-¹⁰⁹

पटना, दिनांक-13/10/25

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	श्री तुषार धवल सिंह, प्रधान निदेशक	कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड	E3/203 गर्दनीबाग
2.	श्री संजय कुमार भारती, प्रधान आयुक्त	कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड	E3/204 गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (मो0नं0-9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मेंटेनेन्स चार्ज राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने की शर्त पर ही आवास आवंटित किया जाता है।

अतः आवास अधिग्रहण की तिथि से मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि, निर्धारित मानक किराया एवं मेंटेनेन्स चार्ज की राशि Executive Engineer, Rent Division, BCD के Bank Account No-924020057053795, IFSC Code-UTIB0002619, Branch Name- Axis Bank Limited, Patliputra में बैंक ड्राफ्ट/अन्य माध्यम से प्रतिमाह 15 तारीख से पूर्व जमा की जाए।

- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेन्स चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेन्स चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

9. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-08/2025-9570(1) पटना, दिनांक:-13/10/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।